न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
154/19	18.12.2019	6/1/2020

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

पुरूषोत्तम आत्मज शिव नारायण जाति ब्राह्मण निवासी जहांगीरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. हंसराज आत्मज शिव नारायण जाति ब्राह्मण
2. मनजीत आत्मज शिव नारायण जाति ब्राह्मण
3. चन्द्रकान्ता पत्नी शिव नारायण जाति ब्राह्मण निवासीगण जहांगीरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री ललित मालव एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम जहांगीरपुरा तहसील दीगोद में पक्षकारान के निम्न प्रकार से भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है– ख0नं0 347 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 348 रकबा 1.92 हे0, ख0नं0 401 रकबा 4.43 हे0 कुल किता 3 रकबा 6.40 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के शामलाती खातें में दर्ज है। ख0नं0 131 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 182 रकबा 1.55 हे0, ख0नं0 505 उत्तर रकबा 0.70 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.35 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 हंसराज के खातें में दर्ज है। ख0नं0 136 रकबा 1.72 हे0, ख0नं0 527/505 रकबा 0.71 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.43 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 2 मनजीत के खातें में दर्ज है। ख0नं0 501/1 दक्षिण रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 502/1 दक्षिण रकबा 0.38 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.71 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 3 चन्द्रकान्ता के खातें में दर्ज है। जबकि पक्षकारान् मौके पर वादपत्र की मद नं0 2 के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजीयात् ख0नं0 501/1 दक्षिण रकबा 0.33 ह0, ख0नं0 502/1 दक्षिण रकबा 0.38 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.71 हे0 भूमि जो प्रतिवादी नं0 3 चन्द्रकान्ता के खातें में दर्ज है, मे से चन्द्रकान्ता का नाम डिलीट किया जाकर वादी के खातें दर्ज की जावें। ख0नं0 347 रकबा 0.05 हे0 वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम शामलाती खातें में व ख0नं0 348 रकबा 1.92 हे0 में से वादी व प्रतिवादी नं0 2 मनजीत का नाम खातें से हटाया जाकर प्रतिवादी नं0 1 हंसराज के नाम दर्ज की जावें व ख0नं0 401 रकबा 4.43 हे0 भूमि को प्रतिवादी नं0 1 व 2 हंसराज व मनजीत के शामलाती खातें में दर्ज की जावें। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.12.2019 को कब्जें के अनुसार खातें में दुरूस्ती करनें से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

सहायक कलक्टर एवं
दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

इस प्रकार अन्य कथन कर वादी नें निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– वादपत्र की मद नं0 2 लगायत 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जावें व प्रतिवादी नं0 3 का नाम खातें से डिलीट किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादीगण वादपत्र की मद नं0 2 ता 6 में अंकित कब्जें काश्त की भूमियों में किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें। प्रतिवादी नं0 4 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादी को प्रतिवादीगण से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जहांगीरपुरा सं0 2073–76 खाता नं0 133
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जहांगीरपुरा सं0 2073–76 खाता नं0 132
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जहांगीरपुरा सं0 2073–76 खाता नं0 92
4. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जहांगीरपुरा सं0 2073–76 खाता नं0 34

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की ओर से वकील श्री ललित मालव का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया तथा उभयपक्ष नें राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें का निवेदन किया। राजीनामा प्रस्तुत होनें पर उभयपक्ष को राजीनामा पढकर सुनाया गया, जिस पर उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रकट की गई। वादी की पहचान वकील श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की पहचान वकील श्री ललित मालव द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम जहांगीरपुरा स्थित खाता नं0 133 के हंसराज, पुरूषोत्तम मनजीत पुत्र श्योनारायण, ग्राम जहांगीरपुरा स्थित खाता नं0 132 का हंसराज पुत्र शिवनारायण, ग्राम जहांगीरपुरा स्थित खाता नं0 92 का मनजीत पुत्र शिवनारायण तथा ग्राम जहांगीरपुरा स्थित खाता नं0 34 की चन्द्रकान्ता पत्नी शिवनारायण खातेदार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जमाबंदी सं0 2073–76 से प्रमाणित है। पक्षकारान् मौके पर काबिज अनुसार अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें हेतु सहमत है तथा प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अपनें स्वत्वों का त्याग वादी के पक्ष में किये जानें से वादी प्रतिवादी नं0 3 के स्वत्वों को धारण करनें का अधिकार है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप समस्त विवाद्यकों का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। जिससे वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादगत आराजी वाके ग्राम जहांगीरपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 501/1 दक्षिण रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 502/1 दक्षिण रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 505 उत्तर रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 527/505 रकबा 0.71 हे0 भूमि का वादी पुरूषोत्तम को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम जहांगीरपुरा स्थित ख0नं0 181 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 182 रकबा 1.55 हे0, ख0नं0 348 रकबा 1.92 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 हंसराज को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

जहांगीरपुरा स्थिति ख0नं0 136 रकबा 1.72 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 2 मनजीत को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम जहांगीरपुरा स्थित ख0नं0 347 रकबा 0.05 हे0 भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम जहांगीरपुरा स्थित ख0नं0 401 रकबा 4.43 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 हंसराज को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी नं0 2 मनजीत को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। प्रतिवादी नं0 3 द्वारा ख0नं0 501/1 दक्षिण रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 502/1 दक्षिण रकबा 0.38 हे0 भूमि का हकत्याग वादी के पक्ष में करनें से वादी से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल करते हुए तहसीलदार पालना करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 6/1/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पुरूषोत्तम आत्मज शिव नारायण जाति ब्राह्मण निवासी जहांगीरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. हंसराज आत्मज शिव नारायण जाति ब्राह्मण
2. मनजीत आत्मज शिव नारायण जाति ब्राह्मण
3. चन्द्रकान्ता पत्नी शिव नारायण जाति ब्राह्मण निवासीगण जहांगीरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–154/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री ललित मालव एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादगत आराजी वाके ग्राम जहांगीरपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 501/1 दक्षिण रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 502/1 दक्षिण रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 505 उत्तर रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 527/505 रकबा 0.71 हे0 भूमि का वादी पुरूषोत्तम को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम जहांगीरपुरा स्थित ख0नं0 181 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 182 रकबा 1.55 हे0, ख0नं0 348 रकबा 1.92 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 हंसराज को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम जहांगीरपुरा स्थिति ख0नं0 136 रकबा 1.72 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 2 मनजीत को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम जहांगीरपुरा स्थित ख0नं0 347 रकबा 0.05 हे0 भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम जहांगीरपुरा स्थित ख0नं0 401 रकबा 4.43 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 हंसराज को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी नं0 2 मनजीत को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। प्रतिवादी नं0 3 द्वारा ख0नं0 501/1 दक्षिण रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 502/1 दक्षिण रकबा 0.38 हे0 भूमि का हकत्याग वादी के पक्ष में करनें से वादी से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल करते हुए तहसीलदार पालना करें।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 6 / 1 /2020 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner